न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 64 / 2023

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. लीलादेवी पत्नि जेठाराम सिरवी निवासी बिलावास तह0 सोजत जिला पाली राज0 हाल निवासी रामनिवास, ब्रह्मकुमारी रोड़, 7वां मैन, अमर मेडिकल के पास, राममुर्ति नगर, बैंगलोर 560016।		1. मंगलाराम पुत्र मुकनाराम 2. मांगीलाल पुत्र मुकनाराम जातिगण सिरवी निवासीगण बिलावास तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3.. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री आनन्दीलाल भाटी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 व 02 उपस्थित।

दिनांक :— 30/07/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बिलावास प0ह0 बिलावास तह0 सोजत जिला पाली के ख0नं0 2322 रकबा 0.07 है0 की कृषि भूमि चोयलावाला के नाम से स्थित है, जो कि कदीम से ही चार दीवारी बनी हुई है, जिसमें प्रार्थीनी का 1/12 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 मंगलाराम का 5/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 माँगीलाल का 5/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 मुगनाई का 1/15 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 पोकरराम का 3/20 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 तेजाराम का 3/20 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 भीकीदेवी का 1/15 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 शान्तिदेवी का 1/15 हिस्सा कदीम से चला आया है व लगातार कब्जा काश्त बतौर खातेदार के बिना किसी बाधा के अधिकारपूर्ण तरीके से चला आयें है। तमाम खातेदार राजस्व रेकर्ड खातेदारी अनुसार अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को उपजाउ करने के लिए लागत लगाकर अपनी मेहनत से कृषि भूमि में फसल की खड़ाई, बुआई, देख रेख, निदान पाली व अवेराई करते आये है व अपने हिस्से की भूमि में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण ने कृषि उपयोगी सामान रखने हेतु ओढ़ व चारा रखने के लिए अलग अलग बाड़े बनाये हुए है व प्रार्थीनी ने अपने हिस्से की भूमि में खसरा नंबर 2318 वाला रास्ते की ओर तारबन्दी भी अपने स्वयं के खर्चे से कर रखी है व लकड़ी का फला लगा हुआ है। वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की होने के कारण प्रत्येक ईंच की कृषि भूमि पर प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण को संयुक्त रूप से हक हकूक अर्जित एवं प्राप्त हो चुके थे। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण के बीच वादस्थ कृषि भूमि का मौके पर बंटवाड़ा नहीं किया हुआ है। प्रार्थीनी के हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है, जिसमें अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से प्रार्थीनी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा अड़चन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये वादस्थ कृषि भूमि पर हटधर्मिता व अपनी मन मर्जी से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं हैं और न ही अप्रार्थीगण को वादस्थ आराजियात की कृषि भूमि को बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये बेचान हस्तान्तरण करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण अगर आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण कर देते है तो पक्षकारान में रंजिश बढेगी तथा मुकदमें बाजी बढेगी तथा पक्षकारान को खर्च हर्जे से जैर बार होना पड़ेगा। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है सहूलियत का पलड़ा भी प्रार्थीनी के पक्ष में है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णनीय क्षति होंगी जिसका मूल्यांकन कदापि नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीनी को अपरिमित क्षति होगी। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रा0पत्र प्रस्तुत कर माफिक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी विरुद्ध अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखल अन्दाजी, बाधा अड़चन इत्यादि करे और न ही प्रार्थीगण को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करे और न ही अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये वादस्थ कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करे व न ही आगे से आगे विधि

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

विरूद्ध तरीके से बेचान हस्तान्तरण करे और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे और न ही अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करे की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 02 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने बिना किसी बिनायदावा उत्पन्न हुए धारा 188, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बिल्कुल ही गलत एंव झुठा वाद पेश किया है जिसमें वादीया को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 का जवाब यह है कि सरहद मौजा ग्राम बिलावास के खसरा नम्बर 2322 में अप्रार्थीगण का हक हिस्सा सही दर्ज किया गया हैं जिसमें अप्रार्थीगण ने भारी खर्च खाता कर चार दीवारी का निर्माण करवाया है जिसमें वादी ने किसी प्रकार का कोई खर्च खाता अदा नहीं किया है। वादी का यह भी कहना गलत है कि की उक्त खसरा जात की कृ षि भूमि में उसने कभी भी खड़ाई बुराई कराई हो मौके पर वादी का उक्त खसरा जात की कृषि भूमि में कब्जा काश्त भी नहीं है। अप्रार्थीगण के अलग–अलग बाड़े बने हुए है। वादी का यह कहना भी गलत है कि उसने खसरा नम्बर 2318 वाले रास्ते की तरफ तारबंदी अपने खर्चे से की हो शेष पैरा गलत एंव मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीनी द्वारा गलत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। अप्रार्थी सं0 03 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि तमाम खातेदार राजस्व रेकर्ड खातेदारी अनुसार अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को उपजाउ करने के लिए लागत लगाकर अपनी मेहनत से कृषि भूमि में फसल की खड़ाई, बुआई, देख रेख, निदान पाली व अवेराई करते आये है व अपने हिस्से की भूमि में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण ने कृषि उपयोगी सामान रखने हेतु ओढ़ व चारा रखने के लिए अलग अलग बाड़े बनाये हुए है व प्रार्थीनी ने अपने हिस्से की भूमि में खसरा नंबर 2318 वाला रास्ते की ओर तारबन्दी भी अपने स्वयं के खर्चे से कर रखी है व लकड़ी का फला लगा हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये वादस्थ कृषि भूमि पर हटधर्मिता व अपनी मन मर्जी से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं हैं और न ही अप्रार्थीगण को वादस्थ आराजियात की कृषि भूमि को बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये बेचान हस्तान्तरण करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण अगर आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण कर देते है तो पक्षकारान में रंजिश बढेगी तथा मुकदमें बाजी बढेगी तथा पक्षकारान को खर्च हर्जे से जैर बार होना पड़ेगा। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है सहूलियत का पलड़ा भी प्रार्थीनी के पक्ष में है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा के पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णनीय क्षति होंगी। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बिलावास के खसरा नम्बर 2322 में अप्रार्थीगण का हक हिस्सा सही दर्ज किया गया हैं जिसमें अप्रार्थीगण ने भारी खर्च खाता कर चार दीवारी का निर्माण करवाया है जिसमें वादी ने किसी प्रकार का कोई खर्च खाता अदा नहीं किया है। उक्त खसरा जात की कृषि भूमि में उसने कभी भी खड़ाई बुराई कराई हो मौके पर वादी का उक्त खसरा जात की कृषि भूमि में कब्जा काश्त भी नहीं है। अप्रार्थीगण के अलग–अलग बाड़े बने हुए है। प्रार्थीया द्वारा गलत एंव मनगढंत तथ्यों के आधार पर यह प्रा0पत्र पेश किया है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। जिससे प्रार्थीया का उक्त प्रा0पत्र भारी कॉस्ट पर खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि में उभय पक्षकारान रेकर्डेड खातेदार है। यघपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में जवाब दावा रेकर्ड पर लेकर, तनकियात कायम कर साक्ष्य/ सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। वादस्थ भूमि पर यदि पर अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये प्रार्थीया के हक हिस्से में दखल अंदाजी कर वादग्रस्त आराजीयात के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करते है तो इससे वाद बहुलियता बढेगी। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में वादस्थ भूमि के वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बिलावास प0ह0 बिलावास तह0 सोजत जिला पाली के ख0नं0 2322 रकबा 0.07 है0 की भूमि के वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 30/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत